

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर पन्ना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 बमीठा-सतना मार्ग के निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 35.068 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 39.00 हेक्टेयर) वनभूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन, रीवा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 03.2020

स्थान: भोपाल


 P. D. Singh
 (संजय माहरीर)

पदेन सचिव
 (संजय माहरीर)
 म.प्र. वन विभाग
 मध्यप्रदेश शासन

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
 (प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)